निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 819) पटना, बुधवार, 29 सितम्बर 2021

सं० 3ए–2–वे०पु०–(भ०)–08/2013–**6598**@foŒ
foÙk foHkkx

ldYi

27 सितम्बर 2021

fo"k;%& fnukd&01-07-2021 l c<h gbZ nj l egxkbZ HkÙkk@jkgr d ekg tqykbZ] 2021 ,oa vxLr] 2021 d cdk;k jkf'k dk ,de'r Hkqxrku ekg] vDVwcj] 2021 e fd;s tkus dh LohÑfr d lEc/k esA

वित्त विभाग के संकल्प सं०–5421, दिनांक–19.08.2021 तथा संकल्प सं०–5422, दिनांक–19.08.2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों@पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह flrEcj] 2021 के वेतन/पेंशन में जोड़कर किये जाने तथा इसके पूर्व के माह tqykbZ] 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह vDVwcj] 2021 में एवं माह vxLr] 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह uoEcj] 2021 में किए जाने का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य सरकार में दिनांक–01.04.2019 से समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) लागू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों/पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के वेतन/पेंशन का भुगतान किया जाता है। समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के अन्तर्गत बकाये राशि की गणना सिस्टम द्वारा स्वयमेव एकमुश्त की जाती है। फलतः संदर्भित संकल्प के आलोक में माह, जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाया महंगाई भत्ता/राहत के समेकित विपत्र का भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में ही किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक–01.07.2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत के माह जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 के बकाये राशि का एकमुश्त भुगतान माह, अक्टूबर, 2021 में किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०–5421, दिनांक–19.08.2021 एवं संकल्प सं०–5422, दिनांक–19.08.2021 को इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

vkn'k %& vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldYi dk fcgkj jkt i= d vxy vd e lo lk/kkj.k dh tkudkjh gr çdkf'kr fd;k tk;A

vkn'k l]
ykd'k dekj fl g]
lfpo ¼l lk/ku½A

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 819-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in